सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 36/17</u> **निर्णय दिनांकः– 26–7–2019**

1. हीराराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कानाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।
3. उपखण्ड अधिकारी, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 22–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री आनन्द बजाज, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 22–05–2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी की खातेदारी भूमि ग्राम केडली के नया खसरा नम्बर 65, 66, 67 कुल किता 3 रकबा 5.78 हेक्टर स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 7 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा थे। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम केडली में खसरा नम्बर 513, 514, 516, 578, 1033/515, 1040/76 कुल किता 6 रकबा 10.22 हेक्टर भूमि स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 106, 119, 121 कुल 3 रकबा 101 बीघा 4 बिस्वा भूमि निहित है। अपीलांट/वादी के खेत में से होकर रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के खेत में से कटाणी रास्ता गावं स्वरूपसर जाता था, जो पुराने नक्शे विक्रम सवंत् 1947 ईस्वी में भी पुराना रेवेन्यू रिकार्ड में अंकन किया गया था। यह रास्ता पीढ़ियों से चल आ रहा था तथा आस–पास के सैकड़ों ग्रामवासी उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। लेकिन उक्त रास्ता गत् बन्दोबस्त सन् 1989–1990 में हुआ जिसे बन्दोबस्ती विभाग ने बिना किसी आदेश के हटा दिया गया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को पुराने रिकार्ड को यथावत रखने का ही अधिकार है, उन्होनें रिकार्ड में हेरा–फेरी कर कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के खेत में से दर्ज रास्ता को हटा दिया गया जबकि उक्त रास्ता नक्शे में दर्जशुदा पुराना कटाणी रास्ता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने हेतु अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र प्रस्तुत करते हुए पुराने कटाणी रास्ते को पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की गई।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 25–03–2015 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 15–04–2015 को उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि ''वादी का यह दावा पूर्ण सुनवाई करके मेरिट पर ही निर्णित किया जाना उचित समझते है'' तथा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार यह तथ्य दोनों पक्षों के मध्य स्पष्ट हो चुका था कि प्रकरण का निस्तारण उभय

पक्षों की बहस व दावे की प्रक्रिया की पालना करते हुए किया जाना था। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29—04—2015 को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अभिलिखित किया गया कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य एवं मेरिट के आधार पर निर्णय किया जायेगा। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय स्वमेव ने अपने कथनों के विपरीत जाकर बिना अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए अपीलांट का वाद सही धाराओं में पेश नहीं करने के कारण खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश स्वयं द्वारा धारित अवधारणा के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि कानून यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि यदि वाद गलत धाराओं में प्रस्तुत भी कर दिया गया है तब भी वादपत्र के अनुतोष को देखा जाना चाहिए था। वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार में था। इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी मात्र वादी/अपीलांट के वादपत्र को खारिज करने के कैम्प कोर्ट के आंकड़ें बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। कानून यह मंशा रही है कि जहॉ तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना बेहतर है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा धारित अवधारणा के विपरीत जाकर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर दावा वादी डिक्री किया जावे अन्यथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2009 पेज 429, सीसीसी 2008 पार्ट II पेज 801, सीसीसी 2010 पार्ट II पेज 217, आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 3046 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद सही धाराओं में पेश नहीं करने के कारण खारिज किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अंकित की गई धाराओं में प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कदीमी रास्ते का कथन किया गया है जबकि कदीमी रास्ते की दुरूस्ती का मामला राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, कदीमी रास्ता सुखाचार से संबंधित है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि बन्दोबस्ती के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के पूर्व में रेवेन्यू रिकार्ड व नजरी नक्शें में चालू रास्ते के अंकन को हटाया गया है, जबकि ऐसा किये जाने का उन्हें अधिकार हासिल नहीं था, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भू—राजस्व अधिनियम अध्याय 7 में बन्दोबस्त अधिकारियों को मौके की स्थिति के अनुसार इन्द्राज करने का क्षेत्राधिकार हासिल था। बन्दोबस्ती अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि वादी द्वारा कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी दिनांक 29—09—2013 को होना बताया है जबकि सर्वे 1990—91 में हुए 20 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त त्रूटि को सर्वे अधिकारियों से समक्ष चाराजोई करने का पर्याप्त उपचार व समय था। जिसका की वादी/अपीलांट द्वारा उपयोग नहीं किया गया है। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 291 ए, 88 व 92ए के आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। जबकि वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त धाराओं में कवर नहीं होता है। ऐसे में वादी/अपीलांट द्वारा अभिलिखित की गई धाराओं से बाहर जाकर व तथ्यों के विपरीत जाकर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यह निर्विवाद है कि जहॉ वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अभिलिखित धाराओं में प्रदान नहीं किया जा सकता है, वहॉ प्रकरण में साक्ष्य व तनकीयात् कायम किये जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों व कानून के

प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 6, आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 483, आरएलडब्ल्यू 2006 पार्ट II पेज 940, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 19 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए, 188 एवं 92ए के दावे के साथ भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत दरखवाश्त पेश की। प्रतिवादी द्वारा दावे की संधारणीयता पर आपत्ति करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति दिनांक 15–04–2015 को तथा दिनांक 29–04–2015 को खारिज कर दी गई तथा वादपत्र एवं जवाब के आधार पर तनकी कायम करने का निर्णय किया गया। दोनों पक्षों के मध्य सहमती कायम करने के लिये प्रकरण बार–बार लोक अदालत में रखा गया, परन्तु सहमती नहीं बनने पर प्रकरण तनकी कायमी के स्तर पर लम्बित था। इसी दौरान दिनांक 22–05–2017 को कैम्प दावा में दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्शाकर वाद खारिज कर दिया गया। निर्णय में लिखा है कि वादी, प्रतिवादी की बहस सुनी गई, जबकि प्रकरण की सुनवाई तनकी कायमी के स्तर पर लम्बित थी। निर्णय में आगे लिखा गया है कि स्टेट का जवाब से स्पष्ट है कि वादी को उक्त खेत में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है, जबकि स्टेट की तरफ से कोई जवाब की पेश नहीं हुआ। दूसरी लाईन में कहा गया है कि अगर रास्ता चाहिए था तो उसे वाद पेश न कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके पश्चात् कहा गया है कि सेटलमेंट अधिकारियों ने सन् 198–90 में रास्ते का इन्द्राज हटा दिया था, जिसे अब दुरूस्त किया जाना संभव नहीं है।

परीक्षण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष सरसरी, रिकार्ड व कानूनी प्रावधानों से असंगत है। वादी की सुनवाई के प्रारम्भिक स्टेज में वाद की संधारणीयता पर निर्णय किया जा चुका था तो निर्णय करने से पूर्व विवाधक स्थापित करते हुए समुचित साक्ष्य का विवेचन करना चाहिए था। सेटलमेंट के दौरान पूर्व के रिकार्ड में रद्दोबदल किया है तथा खातेदारी अधिकार प्रभावित हुए है तो वाद का निर्णय टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 व 92ए क तहत करना चाहिए था या कोई अन्य अनुतोष दिये जाने की गुंजाईश थी तो टीनेन्सी एक्ट की धारा 209 के तहत न्यायालय को उक्त अधिकार था। परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन किये बिना एकतरफा आदेश जारी करने में भूल की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 22—05—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए समुचित निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 26—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर